उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
(Shakti Bhawan, Lucknow)

संo: 696–ज0श0 एवं प्र0सु0(01)/पाकालि/09–21 प्र0सु0/2001 T.C.-3	दिनांक : 23 अक्टूबर,, 2009

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 ऊर्जा क्षेत्र सुधार (वितरण उपक्रमों का अन्तरण) स्कीम–2003 एवं उ0प्र0 ऊर्जा क्षेत्र सुधार (वितरण उपक्रमों का अन्तरण) (षष्टम् संशोधन) स्कीम–2008 के अन्तर्गत शासन की अधिसूचना संख्या–2662/24–पी–2–2008–61–एम0ई0/2000 दिनांक 11–12–2008 द्वारा समस्त संवर्गो के कार्मिकों के आमेलन/अन्तरण को दिनांक 11–12–2008 को अन्तिम कर दिये जाने के कारण एक निगम से दूसरे निगम में परिचालकीय संवर्ग/लिपिकीय संवर्ग/कला संवर्ग/लेखा संवर्ग (अधिकारियों को छोड़कर) के कार्मिकों के स्थानान्तरण का कोई विकल्प नहीं है अपितु सहमति एवं आवश्यकता के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर ही तैनाती हो सकती है।

वितरण निगमों, पावर कारपोरेशन एवं ट्रांसमिशन कारपोरेशन के मध्य विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरण सम्भव हो सके इस हेतु पावर कारपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 28–07–2009 एवं वितरण निगमों तथा ट्रांसमिशन कारपोरेशन के निदेशक मण्डलों द्वारा दिनांक 07–09–2009 को एवं पावर कारपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा पुनः दिनांक 23–09–2009 को अनुमोदन प्रदान किया था, जिसके निर्णयानुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के कार्य क्षेत्र में विशेष परिस्थितियों में, 'अन्तर निगम स्थानान्तरण नीति' एतद्द्वारा निर्गत की जाती है :–

(i) जिस वितरण निगम के कार्मिक का स्थानान्तरण प्रस्तावित हो तथा जिस वितरण निगम/पावर कारपोरेशन/पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन में स्थानान्तरण किया जाना हो दोनो निगमों के प्रबन्ध निदेशकों की सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(ii) जिस वितरण निगम/पावर कारपोरेशन/पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन में स्थानातरण किया जायेगा उस निगम की सम्बन्धित इकाई में कार्मिक की ज्येष्ठता उस कैडर के कार्यरत कार्मिकों में सबसे नीचे होगी जिससे उस निगम में तैनात कार्मिकों की पूर्व अवधारित ज्येष्ठता प्रभावित न हो।

(iii) श्रेणी–3 एवं श्रेणी–4 के कार्मिकों को यह सुविधा केवल एक बार ही अनुमन्य होगी। अतः अन्तर निगम स्थानान्तरण हेतु इच्छुक श्रेणी–3 एवं श्रेणी–4 के कार्मिक अपने प्रबन्ध निदेशकों के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ एवं लेखा संवर्ग के कार्मिक उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशा0), शक्ति भवन लखनऊ को अतिशीघ्र उपलब्ध करा दें।

उपरोक्त स्थानान्तरण नीति तत्काल प्रभावी होगी तथा निर्गत होने की तिथि से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगी।

पावर कारपो0/पावर ट्रान्स0 कारपो0 एवं
मध्या0/पूर्वा0/पश्चि0/दक्षि0 वि0वि0नि0लि0
के निदेशक मण्डल की आज्ञा से

सं0: 696 (i) ज0श0 एवं प्र0सु0(01)/पाकालि/09–21 प्र0सु0/2001 तद्‌दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अपर प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/केस्को–कानपुर।
6. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण निगम लि0।
9. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण निगम लि0।
10. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त संयुक्त सचिव/उपसचिव/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण निगम लि0।
13. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (आडिट–2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. समस्त मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/उपमुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
15. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. कम्पनी सचिव, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/ट्रन्सको–लखनऊ/केस्को–कानपुर।

आज्ञा से,

23/7

(रणधीर सिंह)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)